

Telephone

Office : 0484-2351610, 2351493, 2351790

Director : 0484-2351107 (per.)



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डैयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग)

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DEPARTMENT OF FISHERIES)

केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट)

CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL & ENGINEERING TRAINING (CIFNET)

फाईन आर्ट्स एवन्यू, कोच्ची- 682 016

FINE ARTS AVENUE, KOCHI -682 016

Fax : 91-0484-2370879

E-mail : cifnet@nic.in

फा सं.1-02/2020 प्रशि.

दिनांक: 07.01.2021

परिपत्र

वी.एन.सी / एम.एफ.सी. (2020 -2022 बैच) के सभी वृत्तिकाग्राही छात्रों को निदेश दिया जाता है कि इस संस्थान से प्रतिमाह रु 1500/- वृत्तिका पाने के लिए उनके प्रवेश लेने के दिन से तीन महीने के अंदर रु 20,000/- (केवल बीस हजार) का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत किया जाए । छात्रों को, सरकारी कर्मचारी से प्राप्त जमानत प्रमाण पत्र अथवा जमानती / बाध्यकर के नाम पर राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रु 20,000/- की बैंक गारंटी / शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ रु 50/- के स्टॉप पेपर में निर्धारित प्रपत्र (वेबसाइट में अपलोड की गई कॉपी) टाइप करके छात्र के पिता या अभिभावक द्वारा निष्पादित करके जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करना है । जमानत बंध पत्र दिनांक 31.01.2021 को या उससे पहले अवश्य प्रस्तुत किया जाए ।

प्रा.अ.सी. अ.अ.अ.

प्रभारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

1. छात्रों की नोटिस बोर्ड ।
2. वी.एन.सी / एम.एफ.सी. प्रथम वर्ष के छात्रों को, संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयकों के ज़रिए ।
3. अनुदेशक (कंप्यूटर) को वरिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रॉनिकी) के ज़रिए- सिफनेट के वेबसाइट में अपलोड करने के लिए ।